

शहीद राजशुरू कॉलेज ऑफ एप्लाईड सांईसेस फॉर व्रमैन (एनएएसी 'ए' ग्रेड मान्यता) दिल्ली विश्वविद्यालय

Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (NAAC 'A' Grade Accredited)





शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ एप्लाईड सांईसेस फॉर वुमैन Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women

छात्रावास प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण तिशियां / Important Dates for Hostel Admission				
गतिविधि Activity	तिथि Date(s)			
स्पेक्टम और आवेदन पत्र की बिक्री	19 জুন 2018			
Sale of Prospectus & Application Form	19th June, 2018			
छात्रावाम प्रवेश की अधिमूचना पहली मूची कॉलेज की वेबमाइट पर (शाम 5.00 बजे के बाद) Notification of Hostel Admission 1st List on the College Website (After 5.00 p.m.)	4 जुलाई. 2018 4th July, 2018			
छावाओं. माता-पिता और स्थानीय अभिमाषक में मुलाकात	5 जुलाई, 2018 और 6 जुलाई, 2018			
Interaction with Students, Parents & Local Guardian	5th July, 2018 and 6th July, 2018			
को दोपहर 1.00 बर्ज तक फीम जमा करें	6 जुलाई 2018			
Fee submission by 1.00 p.m.	6th July, 2018			
छात्रावाम प्रवेश की अधिमूचना कॉलेज वेबमाइट पर हितीय मूची (शाम 500 बजे के बाद) Notification of Hostel Admission Hnd List on the College Website (After 5.00 p.m.)	16 जुलाई. 2018 16th July, 2018			
छात्राओं. माता—पिता और स्थानीय असिमावक में मुलाकात	17 जुलाई, 2018 और 18 जुलाई, 2018			
Interaction with Students, Parents & Local Guardian	17th July, 2018 and 18th July, 2018			
को दोपहर 1.00 बजे तक फीम जमा करे	18 জুলাई 2018			
Fee submission by 1.00 p.m.	18th July, 2018			

प्रधानाचार्य		डॉ पायल मागो	Principal	- 1	Dr. Payal Mago
बर्सर	9	डॉ. श्रुति बंसवाल	Bursar		Dr. Shruti Banswal
वार्डन		डॉ. इंदु अरोड़ा	Warden		Dr. Indu Arora

छात्रावास समिति/Hostel Committee

सदस्य	ः सुश्री प्रीती सिंहल (संयोजक)	Members :	Ms. Preeti Singhal (Convener)
	डॉ. दीपा जोशी		Dr. Deepa Joshi
	डॉ. अल्का वोहरा		Dr. Alka Vohra
	डॉ . इंदु अरोड़ा		Dr. Indu Arora
	डॉ. स्नेंडा कबरा		Dr. Sneha Kabra
	डॉ. शालू शर्मा		Dr. Shalu Sharma
	डॉ. लक्ष्मी पसरीचा सरीन		Dr. Lakshmi Pasricha Sarin
	सुश्री उर्मिल भारती		Ms. Urmil Bharti
	श्री टी.एन. रवि		Mr. T. N. Ravi

छात्रावास कार्यालय संपर्क संख्या: 959097679 Hostel Office Contact No.: 9599057679

(केवल 900 बजे से 5.00 बजे के बीच प्रवेश अवधि के दौरान और अत्यावश्यकता के मामले में) (During admission period and in case of exigency only between 9.00 a.m. to 5.00 p.m.)

विषय सूची

छात्रावास प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण तिथियां	₹
प्रधानाचार्य से प्रस्तावना	3
प्रवेश मानदंड	4
इंफ्रास्ट्रक्चर (आधारिक संरचना)	3
मुविधाएं	7
नियम और कानून	7
छुट्टियों के नियम11	1
सामान्य अनुशासन	3
छात्रावास शुल्क संरचना	3
संलग्नक चेकलिस्टपीछे के कवर के अंदर	₹
फॉर्म / फार्मेटसंलग्नव	7
i) फॉर्म I: छुट्टी की स्वीकृति	
ii) फॉर्म II: माता—पिता/स्थानीय अभिमावक का व्यक्तिगत विवरण	
iii) फॉर्म III: छात्रा का मेडिकल रिकॉर्ड	
iv) फॉर्म IV : छात्रावास पहचान पत्र	
v) फार्मेटः छात्रा और माता—िपता और स्थानीय अभिमावक के लिए अंडरटेकिंग (उपक्रम _/ वचनबद्धता)	/

Students' Activities



प्रिंसिपल से प्रस्तावना



शहीद राजुगुरू कॉलेज ऑफ एप्लाईड साईसेस फॉर वुमैन, वस्धरा एन्क्लेव, दिल्ली में लड़िकयों के लिए छात्रावास है जो 110 छात्राओं को समायोजित कर सकता है। कॉलेज का विशाल परिसर 9.5 एकड़ जमीन पर खुबसूरत बगीचे और शांत परिवेश के साथ बनाया गया है। दिल्ली के बाहर से कॉलेज में दाखिला लेने वाली छात्राएं छात्रावास सुविधाओं का लाभ उठा सकती हैं। छात्रावास में रहना छात्राओं को कॉलेज की विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। छात्रावास घर से दूर रहने वालों के लिए घर के समान है। कमरे सामान्य क्तप से ट्विन / ट्रिपल शेयरिंग आधार पर आवंटित किए जाते हैं। कॉलेज छात्रावास शरीर, मन और आत्मा के सम्पूर्ण विकास को बढ़ावा देता है। छात्रावास छात्राओं में कई वांछनीय गुणों को प्रोत्साहित करता है, जैसे सामुदायिक जीवन में साझा करना, देखभाल करना और एडजस्ट करना और छात्राओं के व्यक्तित्व और चरित्र का विकास करने के लिए अधिक समय और गूंजाइश प्रदान करता है। यह छात्राओं को मूल्य आधारित शिक्षा के उद्देश्य

से उत्कृष्टता के उच्चतम मानकों को प्राप्त करने में सहायता करता है। कॉलेज छात्रावास छात्राओं को रहने के लिए एक साफ—सुथरा और आरामदायक जगह देने के पूरे प्रयास करता है। यह छात्रावास की छात्राओं की जिम्मेदारी है कि इस स्वच्छता को बनाए रखें। समय—समय पर छात्राओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक वार्डन, एक मैट्रॉन और एक ऑफिस स्टाफ है। छात्रावास में मेस, वॉटर कूलर, आगंतुक कक्षा, आम सुविधा और एक चिकित्सा कक्षा है। छात्रावास वाई—फाई सक्षम है और छात्राओं के लिए जीवन को सुविधाजनक और आनंददायक बनाने के लिए फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन, ऑटोमैटिक वाशिंग मशीन, इस्त्री और इंडक्शन कुक टॉप से लैस है। बाधरूम सैनिटरी नैपिकन वेंडिंग मशीन से लैस हैं। मेस में छात्राओं को संतुलित और स्वस्थ भोजन प्रदान किया जाता है। आम कक्षा में डीटीएच के साथ टीवी और एक म्यूजिक सिस्टम है। छात्रावास को खूबसूरती से सजाया गया है जहां बहुत सारी जगह और हिरेयाली साथ देखी जा सकती है। कमरे आरामदायक और बुनियादी फर्नींचर जैसे कि बक्से के साथ बिस्तर और किताब रखने वाली अलमारियों के साथ रहने वालों को प्रदान की जाती है।

हम छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को कॉलेज की सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं चूंकि समय—समय पर परिसर में संगीत, नृत्य नाटक और नुक़ड़ नाटक जैसी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। छात्रावास की छात्राओं को एक बड़े परिवार की तरह प्यार से रहने की सलाह दी जाती है, जैसे जब आवश्यकता हो एक—दूसरे की सहायता करना, और इस प्रकार पारस्परिक रूप से छात्रावास को एक समृद्ध और फलदायी अनुभव बनाने के लिए सहयोग करना। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये छात्रावास के प्रारंभिक वर्ष हैं, जहां जीवनभर के संबंध बनाए जाते हैं और दोस्ती की नींव रखी जाती है। यह वो समय है जो आपकी स्मृति में एक स्वर्ण काल के रूप में रहेगी। कॉलेज का अनुभव किसी व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होता है। कॉलेज छात्रावास एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के हर पहलू के विकास के लिए आदर्श वातावरण प्रदान करता है और आगे एक शानदार कैरियर के लिए पृष्टभूमि प्रदान करने का प्रयास करता है।

छात्रावास में रहना एक उज्ज्वल भविष्य के लिए उच्च स्तर की अखंडता, चेतना, सहयोग, सिहष्णुता और कड़ी मेहनत का अनुमान लगाता है और संस्था की बेहतर छवि बनाता है।

मैं उन सभी छात्राओं के लिए लाभप्रद जीवन की कामना करती हूं जो हमारे छात्रावास में शामिल होंगी।

डॉ. पायल मगो प्रधानाचार्य

प्रवेश मानदंड

पात्रता

शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ एप्लाईड सांईसेस फॉर वुमैन (एसआरसीएएसडब्ल्यू) के प्रामाणिक छात्रा।

सीटों की उपलब्धता

यहाँ टिवन/ट्रिपल शेयरिंग आधार पर 110 सीटें हैं।

छात्रावास प्रवेश नीति 2018–19

- अकादिमक सत्र 2018–19 से, छात्रावास में प्रथम वर्ष की छात्राओं की भर्ती अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, ओबीसी और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सरकार द्वारा निर्देशित आरक्षण के साथ प्राथमिकता (पाठ्यक्रम में प्रवेश के मानदंडों के समान)और दूरी के आधार पर होगी।इसके अलावा, विदेशी नागरिकों के लिए भी 10% सीटें आरक्षित हैं।
- छात्रावास में प्रवेश की पुष्टि उम्मीदवार के साथ बातचीत और उसके माता—िपता और स्थानीय अभिभावक के साथ बातचीत के बाद ही की जाएगी।
- 3. छात्रा जिन्होंने दिल्ली / एनसीआर से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की है या जिनके माता—पिता दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जैसे फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा और गाजियाबाद में रहते हैं, उन्हें छात्रावास सीट के लिए तभी पात्र माना जाएगा, जब कॉलेज प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद सीट खाली रहेंगी।
- 4. छात्रावास में प्रवेश का दावा कॉलेज में भर्ती किसी भी छात्रा द्वारा या यहां तक कि पिछले वर्षों में रह रहीं छात्राओं द्वारा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता है।
- प्रवेश के समय केवल एक किश्त में शुल्क का भुगतान करना होगा।
- 6. यदि प्रथम वर्ष की छात्राओं के प्रवेश के बाद सीटें खाली रहती हैं, तो द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्राओं पर विचार किया जा सकता है। उनके लिए भी मानदंड प्रथम वर्ष के छात्राओं के समान होगा। उपलब्ध नवीनतम परिणाम योग्यता तय करने के लिए मान्य माना जाएगा।
- फाइनल प्रवेश का अधिकार छात्रावास समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

पुनः प्रवेश / प्रवेश

छात्रावास में पुनः प्रवेश चाहने वाली सभी छात्राओं को 22 जुलाई, 2018 के बाद नियमित रूप से कॉलेज की वेबसाइट देखनी होगी।

प्रवेश प्रक्रिया

उम्मीदवारों को कॉलेज प्रवेश पत्र के साथ कॉलेज कार्यालय में विधिवत तौर पर भरे छात्रावास आवेदन पत्र जमा करना होगा। छात्रावास आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की एक स्वयं प्रमाणित (सेल्फ अटैस्टेड) फोटोकॉपी जमा की जानी चाहिए:

- कॉलेज प्रवेश शुल्क की रसीद।
- अंतिम उत्तीर्ण परीक्षा की मार्कशीट'।
- सक्षम स्थानीय प्राधिकरण (िकसी भी दो) द्वारा जारी निवास प्रमाणपत्र। जिला मिजस्ट्रेट द्वारा प्रमाणपत्र या हलफुनामा / पासपोर्ट की कॉपी/ आधार कार्ड / राशन कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / बिजली बिल / टेलीफोन बिल की प्रतिलिपि को आवास के प्रमाण के रूप में माना जा सकता है।

^{*} पुनः प्रवेश करने वाले छात्रों को पिछले वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण दोनों सेमेस्टर की मार्क शीट जमा करनी होगी।

- पुनः प्रवेश की मांग करने वाली छात्रा को पिछले वर्ष कीउत्तीर्ण की दोनों सेमेस्टर की मार्क शीट जमा करानी होगी।
- एक पंजीकृत चिकित्सक द्वारा प्रमाणित मेडिकल सर्टिफिकेट (फॉर्म संलग्न)। (छात्रावास में प्रवेश के दौरान जमा कराना है, जिसके विफल होने पर प्रवेश रद्द हो जाएगा)
- आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र, यदि कोई हो। (एससी / एसटी / ओबीसी / पीडब्ल्यूडी)

प्रवेश के लिए चुनी गई छात्राओं के माता—पिता को अधिकारियों की संतुष्टि के लिए स्थानीय अभिभावक के रूप में एक जिम्मेदार व्यक्ति को नियुक्त करना आवश्यक है। स्थानीय अभिभावक माता—पिता का प्रतिनिधित्व करेंगे और किसी लंबी बीमारी या अप्रत्याशित आपातकाल, विश्वविद्यालय की छुट्टियों और अवकाश के मामले में वार्ड की ज़िम्मेदारी लेंगे। हर समय, स्थानीय अभिभावक को अपने वार्ड का प्रभार लेने के लिए तैयार होना होगा और दिए गए टेलीफोन / मोबाइल नंबरों पर उपलब्ध होना होगा। कॉलेज को स्थानीय अभिभावक को बदलने के बारे में पूछने का अधिकार है। स्थानीय अभिभावक में किसी भी बदलाव के लिए कॉलेज की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।

सभी प्रमाण पत्र एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के अधीन हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार, कॉलेज आवेदक द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों / कागजात की स्वयं प्रमाणित प्रतियों को स्वीकार करेगा। हालांकि, यदि कोई झूठा प्रमाणन / झूठा रिकॉर्ड पाया जाता है, तो छात्रा को अगले पांच वर्षों तक विश्वविद्यालय या उसके कॉलेजों में किसी भी पाठ्यक्रम में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा और इसके अतिरिक्त, आईपीसी (जैसे 470, 471, 474, आदि) के प्रासंगिक खंड (ओं) के तहत आपराधिक मामला उनके खिलाफ तैयार किया जाएगा।

निम्नलिखित छात्रा पुनः प्रवेश के लिए योग्य नहीं होंगी

- वे छात्राएं जो अपने विश्वविद्यालय की परीक्षा में विफल रहती हैं।
- वे छात्राएं जो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से नकल करने में शामिल रहीहैं।
- वे छात्राएं जिन्होंने कम से कम 66.67% की कॉलेज उपस्थिति की आवश्यकता को पूरी नहीं किया है।
- वे छात्राएं जिन्होंने छात्रावास नियमों का उल्लंघन किया है या दुर्व्यवहार के कार्य किए हैं।
- वे छात्राएं जिन्होंने गलत जानकारी / डेटा प्रस्तुत किया है।
- वे छात्राएं जिनके एक से अधिक पेपर में आवश्यक दोहराना / कंपार्ट्मेंट (ईआर) है।

यदि कोई छात्रा प्रस्तावित किए जाने पर छात्रावास की सीट नहीं लेती है, तो वह प्रवेश सूची में अपनी प्राथमिकता खो देती है। देर से आवेदन करने वालीऔर वेछात्राएंजो छात्रावास प्रवेश साक्षात्कार के दौरान उपस्थित नहीं थीं, उनका प्राथमिकता सूचीपर कोई दावा नहीं होगा।

प्रतीक्षा सूची के छात्राओं को सलाह दी जाती है कि वे प्रासंगिक जानकारी के लिए नियमित रूप से कॉलेज / छात्रावास नोटिस बोर्ड / कॉलेज वेबसाइट को देखती रहें। इस संबंध में कोई व्यक्तिगत सूचना नहीं भेजी जाएगी।

शुल्क वापसी नीति

छात्रावास प्रवेश रद्दीकरण / निकासी के लिए शुल्क वापसी नीति निम्नानुसार है। रद्दीकरण के लिए आवेदन करने वाले छात्राओं के लिए —

- (i) 31 अगस्त 2018 से पहलेः छात्रावास शुल्क का 50% और शेष महीनों के मेस शुल्क को सुरक्षा जमा राशि के साथ वापस किया जाएगा।
- (ii) 31 अगस्त, 2018 के बाद रद्दीकरण के लिए आवेदन करने वालों के लिए: केवल शेष महीनों के मेस शुल्क और सुरक्षा जमा राशि वापस की जाएगी।

इंफ्रास्ट्रक्चर (आधारिक संरचना)

कमरे

- छात्रावास बने हुए कमरों में 110 छात्राओं को जगह प्रदान कर सकता है जिसमें प्रत्येक कमरे में 2-3 छात्राएं रहेंगी। प्रत्येक छात्रा को एक बेड, एक दीवार में लगी अलमारी/अलमारी, एक स्टडी टेबल, एक कुर्सी और एक बुकशेल्फ प्रदान किया जाता है।
- छात्राओं को अपने गद्दे, तिकया कवर, रजाई, कंबल, चादर, तौलिया, बाल्टी, कॉफी मग, गिलास, चम्मच, थर्मस फ्लास्क, टॉर्च,
 गर्म पानी की बोतल, थर्मामीटर, ताला और चाबी, धूल पोंछने का कपड़ा और बर्तन आदि लाने की आवश्यकता है।

मंज़िल-अनुसार सुविधाएं

- लांड्री कक्षः छात्रावास में प्रत्येक मंजिल पर पूरी तरह से स्वचालित वाशिंग मशीन के साथ कपड़े धोने का कमरा है। छात्रावास
 में प्रत्येक मंजिल पर एक इस्त्री, टेबल और दरी के साथ एक इस्त्री कक्ष भी है।
- पैंट्रीः छात्रावास में प्रत्येक मंजिल पर एक पेंट्री है जिसमें एक इंडक्शन प्लेट, माइक्रोवेव ओवन और सार्वजनिक कमरे में फ्रिज है।
- बाथरूमः प्रत्येक मंजिल पर पांच बाथरूम हैं। वाशरूम सैनिटरी नैपिकन रखने वाली मशीन से लैस हैं।
- वाई-फाई कनेक्शनः प्रत्येक मंजिल वाई-फाई सक्षम है।
- सुरक्षाः छात्रावास में और उसके आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हैं।
- मच्छर / कीट नियंत्रणः मच्छरों और कीड़ों से छात्राओं की रक्षा के लिए प्रत्येक मंजिल पर कीट नाशक मशीनें स्थापित की गई हैं।

मेस

 अनुबंध के आधार पर मेस एक कैटरर द्वारा चलाई जाती है। छात्रावास पौष्टिक और स्वस्थ भोजन सुनिश्चित करता है। मेस समिति के छात्र प्रतिनिधियों के साथ छात्रावास समिति मेस में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और पोषण सामग्री की देखरेख करेगी।

आगंतुकों का कमरा

निवासी आगंतुक के कमरे में अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को मिल सकती हैं।

- आगंतुकों के लिए समय हैं:
- शाम 4.30 से 7.00 बजे तक : सभी कार्य दिवसों पर
- सुबह 10.00 से शाम 7.00 बजे तक : रविवार और अन्य राजपत्रित छुट्टियों पर
- आगंतुकों को प्रत्येक बार आने पर आगंतुक पुस्तक पर पर हस्ताक्षर और प्रासंगिक स्तंभों को भरना होगा।

कॉमन रूम

- टेलीविजन, कैरम बोर्ड, शतरंज इत्यादि जैसी मनोरंजक सुविधाओं से लैस छात्राओं का एक कॉमन रूम है।
- यह निवासियों के लिए वाचन, बहस और चर्चाओं जैसी गतिविधियां करने का स्थान है।
- कॉमन रूम में भी सैनिटरी नैपिकन वेंडिंग मशीन लगी हुई है।

चिकित्सा सुविधाएं

- सप्ताह में दो बार छात्रावास में परामर्श के लिए एक महिला डॉक्टर उपलब्ध रहती है और वह कॉल पर भी उपलब्ध रहती है।
- बीमारी के सभी मामलों की सूचना तुरंत वार्डन / मैट्रॉन को दी जानी चाहिए।
- छात्रावास में सभी प्राथमिक दवाओं, बीपी मशीन, वजन मापने वाली मशीन और नेबुलाइजर के साथ एक प्राथमिक चिकित्सा कक्ष है।
- गंभीर बीमारी के सभी मामलों को निकटतम अस्पताल में भेजा जाएगा। स्थानीय अभिभावक को इसकी विधिवत सूचना दी जाएगी
 और सूचना दिए जाने के बारह घंटों के भीतर उन्हें निवासी का प्रभार लेना होगा।

खेल सुविधाएं

 खेल में रुचि रखने वाले छात्रावास निवासी वार्डन द्वारा अस्वीकृत समय के दौरान कॉलेज की खेल सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

नियम और कानून

निवासियों से पत्र और भावना दोनों म छात्रावास / कॉलेज के नियमों का पालन करने की उम्मीद की जाती है। नियमों के सभी उल्लंघनों को छात्रावास और कॉलेज से जुर्माना और / या निष्कासन के साथ सख्ती से दंडित किया जाएगा। उन छात्राओं को छात्रावास में फिर से प्रवेश से इनकार किया जाएगा जिन्हें पिछले उल्लंघन की घटनाओं का दोषी पाया गया होऔर अपराधियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

कॉलेज इन नियमों में से किसी के भी संशोधन, सुधार या बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। निवासियों के लिए समय-समय पर घोषित / प्रदर्शित सभी निर्देशों का पालन करना आवश्यक है।

यदि छात्राओं के माता—पिता अपने निवास को बदलते हैं, तो इस मामले में उन्हें तुरंत छात्रावास कार्यालय को लिखित रूप में सूचित करना चाहिए ताकि उनकी पात्रता को फिर से सत्यापित किया जा सके। सूचना को छुपाना अनुशासनात्मक कार्रवाई को आमंत्रित करेगा।

कमरे

- छात्रावास के निवासियों को न्यूनतम टि्वन—शेयिंग के आधार पर कमरे उपलब्ध कराए जाएंगे। आवंटित कमरे को वार्डन की पूर्व स्वीकृति के बिना बदला नहीं जा सकता है।
- निवासियों से अपने कमरे और पिरवेश को साफ—सुथरा रखने की उम्मीद की जाती है। वे अपने कमरे और फर्नीचर की देखभाल और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगे।
- 3. निवासियों से दीवारें खराब करने की उम्मीद नहीं की जाती है। दीवारों या फर्नीचर पर कोई अतिरिक्त कील नहीं लगाई जानी चाहिए। कोई भी उल्लंघन ₹1000 / – रुपए के जुर्माना को आमंत्रित करेगा।
- 4. कमरे से कोई फर्नींचर हटाया नहीं जा सकता है। निवासियों को आवंटित फर्नींचर अच्छी स्थिति में वापस करना होगा।
- 5. वार्डन की पूर्व अनुमित के बिना छात्रावास में कोई अतिरिक्त फर्नींचर नहीं लाया जा सकता है। व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से होने वाले सभी नुकसान / हानियों के लिए निवासियों से शुल्क लिया जाएगा।
- 6. कमरे से बाहर आते समय लाइट और फैन बंद कर दिया जाना चाहिए।

- कमरों में इलेक्ट्रिक केटल्स / हॉट प्लेटों की अनुमित नहीं है। यदि कोई ऐसे उपकरणों का उपयोग करते पकड़ा जाएगा तो वह अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा, जिसमें जुर्माना और छात्रावास में उसकी सीट का रद्द होना शामिल होगा।
- 8. निवासी अपने लैपटॉप ला सकते हैं। वे उनकी सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदार होंगे।
- 9. बिजली का बिल, यदि एकत्रित नियमित राशि से अधिक पाया जाता है, तो इस अतिरिक्त राशि को सभी निवासियों द्वारा समान रूप से उठाना होगा।
- 10. कमरे में खाना पकाने या इस्त्री की अनुमति नहीं है।
- 11. निवासियों को किसी भी परिस्थिति में डाइनिंग हॉल से रसोई के बर्तन, क्रॉकरी और कटलरी को हटाने की अनुमित नहीं है।
- 12. निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे आभूषण जैसी चीजों को न लाएं या अपने कमरे में बड़ी मात्रा में धन न रखें। छात्रावास अधिकारी किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
- 13. छात्रावास और कॉलेज परिसर के अंदर किसी तरह के तेज़ संगीत की अनुमित नहीं है।
- 14. निवासियों को छात्रावास में उचित शिष्टाचार बनाए रखना चाहिए। नियमानुसार, निवासियों को कमरे में ऐसी किसी भी गतिविधि को नहीं करना होगा जो रूममेट्स या अन्य निवासियों की परेशानी का कारण बने, इसमें मोबाइल फोन पर लंबी अविध की कॉल भी शामिल है।
- 15. निवासियों का सदस्यों या छात्रावास के सदस्यों और कॉलेज के कर्मचारियों और उनके साधी निवासियों के साथ उचित व्यवहार करना आवश्यक है।
- 16. निवासी गलियारे में चूप्पी बनाए रखें।
- 17. छात्रावास में तंबाळू संबंधित उत्पादों, शराब, ड्रग्स आदि का सेवन सख्ती से प्रतिबंधित है। उपरोक्त गतिविधियों में शामिल कोई भी व्यक्ति छात्रावास से निष्कासन सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।
- 18. कमरे में दूसरों की संपत्ति का पता लगने के परिणामस्वरूप अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है।
- 19. कोई भी बर्बरता सख्त दंडकारी कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध करेगी।
- 20. निवासियों से लॉन और बगीचे के रखरखाव में खर्च किए गए समय और धन की सराहना करने की उम्मीद की जाती है। लॉन का दुरुपयोग जैसे पौधों और पेड़ों को नुकसान पहुंचाना और कूड़ा फैलाना अनुशासनात्मक कार्रवाई को आमंत्रित करेगा।
- 21. कोई भी निवासी किसी भी प्रकार की सेवा के लिए बाहरी व्यक्ति को शामिल नहीं कर सकता है।
- 22. वार्डन / प्रिंसिपल बिना किसी ओर्प्य सूचना के, निवासी को आवंटित कमरे को बदल / खोल / जांच सकते हैं। इस संबंध में आदेश का पालन ना करना अनुशासन का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा और दंडनीय कार्रवाई को आमंत्रित करेगा। छात्रावास की संपत्ति / भवन या संस्थान की छवि को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने के प्रयास को पूर्ण रूप से अनुशासनहीनता का कार्य माना जाएगा जो जुर्माने के साथ—साथ सीट रद्द करने जैसे दंडनीय कार्रवाई को आमंत्रित करेगा।
- 23. चूंकि लड़िकयों के छात्रावास में प्रवेश पाना विशेषाधिकार है, इसिलए निवासियों से पढ़ाई में उत्कृष्टता बनाए रखने की उम्मीद है। इसके अलावा, उनसे सभी लैक्चर ट्यूटोरियल, परीक्षण, संगोष्ठियों और परीक्षाओं में भाग लेने की उम्मीद की जाती है। उपस्थिति में कमी और खराब अकादिमक प्रदर्शन को गंभीरता से लिया जाएगा।
- 24. इस बात को ध्यान में रखें कि निवासियों को केवल स्वीकृत समय के भीतर छात्रावास छोड़ने की अनुमित दी जाएगी। इसलिए छुट्टियों पर जाने से पहले टिकट इनके अनुसार बुक की जानी चाहिए।
- 25. निवासियों को ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए जो आपके कमरे के साथी या छात्रावास के अन्य सदस्यों के लिए किसी प्रकार की परेशानी का कारण बनता है।

छात्रावास परिसर में मौजूद प्रत्येक निवासी को एष्टेंडेंस रजिस्टर में खुद को प्रेजेंट (उपस्थित) चिह्नित करना होगा। शाम के दौरान दैनिक उपस्थिति पर हस्ताक्षर किया जाना चाहिए, यानि कि शाम 7 बजे से 7.20 तक। सभी निवासियों को तब तक उपस्थित होना चाहिए जब तक कि उन्हें छुट्टी नहीं दी जाती है। वार्डन द्वारा निर्देशानुसार एट्टेंडेंस को चिह्नित किया जाना चाहिए।

शाम 7 बजे के बाद किसी भी निवासी को बिना पूर्व अनुमति के छात्रावास से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। इस नियम का उल्लंघन छात्रावास से निलंबन सहित सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई का कारण बन सकती है:

स्थानीय बाहर जाने का समयः शीतकालीन समय (अक्टूबर-मार्च) सुबह ७ से शाम ६.३० बजे तक

ग्रीष्मकालीन समय (अप्रैल-सितंबर) सुबह 6.30 बजे से शाम 7 बजे तक

एष्टेंडेंस के बाद, निवासियों को कॉलेज परिसर के अंदर रात 10 बजे तक घूमने की अनुमति है।

कॉमन रूम

- 1. कॉमन रूम केवल निवासियों द्वारा उपयोग के लिए है।
- निवासियों को छात्रावास में किसी अन्य स्थान पर कॉमन रूम के फर्नीचर को नहीं ले जाना चाहिए। उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
- 3. कॉमन रूम में भी सैनिटरी नैपिकन वेंडिंग मशीन लगी हुई है।
- कॉमन स्थानों का उपयोग करते समय गरिमा, शिष्टाचार, सौहार्द और मित्रता का माहौल बनाए रखा जाना चाहिए।

मेस

- 1. भोजन कक्ष में बहुत ज्यादा शोर मचाने वाले निवासी को जुर्माना लगाया जाएगा।
- 2. निवासियों का भोजन के लिए समय पर होना आवश्यक है।
- निवासियों से भोजन कक्ष में ठीक से कपड़े पहन कर आने की उम्मीद की जाती है।
- 4. निवासियों को भोजन कक्ष में खाना चाहिए। निवासियों को केवल वार्डन की पूर्व अनुमित के साथ अपने कमरे में भोजन करने की अनुमित दी जा सकती है।
- जो निवासी भोजन करने के लिए बाहर जा रहे हों उन्हें इस उद्देश्य के लिए रखे गए रिजस्टर में इस बारे में 24 घंटे पहले बताना होगा।
- 6. रसोईघर / भोजन कक्ष से बर्तनों को बाहर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 7. देर से नाश्ता और डिनर की अनुमित नहीं है। देर से दोपहर का भोजन केवल उन निवासियों के लिए रखा जाएगा जो अपनी कक्षाओं के कारण देर हो जाते हैं। वार्डन की पूर्व स्वीकृति के बाद ही यह सुविधा संभव है।
- निवासी मेस में भोजन के लिए अतिथि को तभी ला सकते हैं जब वे कार्यालय से अतिथि कूपन खरीदेंगे जो डाइनिंग हॉल में भोजन के दौरान उपलब्ध होगा।
 - क. महिलाओं के भोजन कक्ष में केवल महिला मेहमानों का ही स्वागत होगा।
 - ख. ऐसा केवल 12 घंटे पूर्व सूचना के बाद और केवल अधिकृत मेहमानों के लिए किया जा सकता है।
 - ग वार्डन का निर्णय अंतिम होगा।
- 9. निवासियों को रसोई में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।

- 10. बाहर से आए भोजन से उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्या के लिए कॉलेज जिम्मेदार नहीं होगा।
- 11. निम्नलिखित समय पर डाइनिंग हॉल में भोजन परोसा जाएगाः

गर्मी (मार्च-अक्टूबर) शीतकालीन (नवंबर-फरवरी)

नाश्ता सुबह 7.30 — 8.50 तक सुबह 7.30 — 8.50 तक

दोपहर का भोजन (लंच) दोपहर 12.40 - 3.00 बजे तक दोपहर 12.40 - 3.00 बजे तक

चाय शाम 5.15 — 6.15 तक शाम 5.15 — 6.15 तक

- 12. भोजन के समय का सख्ती से पालन किया जाएगा। निश्चित समय के बाद केटरिंग कर्मचारियों से भोजन उपलब्ध कराने की उम्मीद नहीं की जाएगी।
- 13. भोजन की बर्बादी की सख्त मनाही है और न्यूनतम 100 रुपये प्रति भोजन के साथ दंडित किया जाएगा।

मेहमान / आगंतुक

- छात्रावास में दो अतिथि कमरे हैं जो प्रति दिन 500 रुपये (भोजन के बिना) / 600 रुपये (भोजन के साथ) के मामूली शुल्क पर निवासियों के महिला रिश्तेदारों को आवास प्रदान करते हैं।
- छात्रावास प्रशासन के पास छात्रावास के आगंतुक कमरे में ऐसे किसी भी आगंतुक को प्रवेश करने देने से इनकार करने का अधिकार सुरक्षित है जो अपनी पहचान साबित करने में विफल रहता/रहती है या छात्रावास का दौरा करने के वैध कारण नहीं प्रदान करता है।
- छात्रावास में किसी भी प्रकार के कैमरे या फिल्मिंग उपकरणों का उपयोग करने के लिए किसी भी आगंतुक (यहां तक कि माता—पिता) को भी अनुमित नहीं दी जाएगी।
- छात्रावास में आते और जाते समय आगंतुकों को रिजस्टर (इस उद्देश्य के लिए बनाए रखे) पर हस्ताक्षर करना चाहिए।
- निवासी को कॉलेज के दौरान छात्रावास पिरसर के अंदर आगंतुकों से मिलने की अनुमित नहीं है। इस नियम का उल्लंघन करने वाला कोई भी छात्रा अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।
- छात्राओं को कॉलेज के द्वार पर अपने आगंतुकों से मिलने की अनुमित नहीं है।
- 7. पंजीकृत निवासी हर दिन शाम 4.30 से 7 बजे के बीच मिल सकते हैं और इसके अलावा रविवार और अन्य अवकाशों में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक केवल आगंतुक कमरे में मिल सकते हैं।
- सभी आगंतुकों को छात्रावास के नियमों का पालन करना होगा। वार्डन किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना से किसी भी आगंतुक को प्रवेश से इनकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

मेडिकल

पुरानी बीमारी से ग्रस्त छात्राएं जिन्हें विशेष आहार और अन्य देखभाल की आवश्यकता है,उन्हें छात्रावास में दाखिला ना लेने की हिदायत दी जाती है।

- स्वास्थ्य मुद्दों सिहत बीमारियों के सभी मामलों जैसे अवसाद और अन्य प्रमुख चिकित्सा आपात स्थिति के बारे में तुरंत वार्डन को सूचित किया जाना चाहिए।
- 2. निवासियों के पास आवश्यक बचाव सामाग्री होनी चाहिए।
- 3. छात्रावास में रहने के दौरान निवासियों के पास उनकी पूरी चिकित्सा फाइलें होनी चाहिए।

- 4. प्रत्येक सेमेस्टर की शुरुआत में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट प्रदान किया जाना चाहिए।
- 5. चिकित्सा आपातकाल के मामले में, निवासी को निकटतम अस्पताल ले जाया जाएगा और स्थानीय अभिभावक को विधिवत रूप से सूचित किया जाएगा। इसके बाद स्थानीय अभिभावक को इसकी ज़िम्मेदारी लेनी होगी और इलाज और संबंधित खर्चों की पूरी ज़िम्मेदारी माता—पिता / स्थानीय अभिभावक द्वारा उठाई जाएगी। छात्रावास / कॉलेज के अधिकारियों को किसी भी दुर्घटना या लापरवाही के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।
- 6. किसी चिकित्सा समस्या के कारण कक्षाओं से अनुपस्थिति के लिए, मान्यता प्राप्त अस्पताल से एक चिकित्सा प्रमाणपत्र, छात्रावास में फिर से प्रवेश करने के दिन जमा करना होगा।
- 7. कॉलेज द्वारा जब भी शारीरिक फिटनेस के लिए योग / ध्यान / खेल गतिविधियां आयोजित की जाएंगी तो इसमें भाग लेना आवश्यक है, विशेष रूप से छात्रावास में रहने वालों के लिए। उपरोक्त गतिविधियों में 20% अवकाश की अनुमति चिकित्सा के मामले जैसे तत्काल कारण पर पूर्व स्वीकृति के बाद संभव है।

अवकाश

- छुट्टियों की तारीख की घोषणा से पहले निवासियों को घर जाने की अनुमित नहीं दी जाएगी। छुट्टियों के शुरू होने से पहले कोई यात्रा आरक्षण नहीं किया जाना चाहिए।
- निवासियों को प्रत्येक सत्र के पहले और अंतिम दिन उपिथित होना चाहिए। यात्रा व्यवस्था इसी के अनुसार की जानी चाहिए। इसका पालन ना करना अनुशासनात्मक कार्रवाई का कारण बन सकती है।
- 3. छात्रावास अधिकारी छोड़े गए किसी भी सामान की कोई जि़म्मेदारी नहीं लेंगे।
- 4. छात्रा अगर छुट्टी समाप्त होने पर छात्रावास लौटने में विफल रहती है और एक सप्ताह के भीतर कार्यालय को कोई जानकारी नहीं दी जाती है, तो छात्रावासकी सीट किसी अन्य छात्रा को आवंटित की जाएगी।
- दूसरे सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा (ध्योरी / प्रैक्टिकल) में भाग लेने के एक दिन बाद छात्रावास के कमरे को निवासी द्वारा खाली किया जाना चाहिए।

छुट्टियों के नियम

- 1. छुट्टियाँ जिन्हें निवासी ले सकते हैं, वे निम्न हैं:
 - क. स्थानीय अभिभावक के पास जाने की छुट्टी सप्ताहांत (शनिवार / रविवार) और राजपत्रित अवकाश
 - ख. घर जाने के लिए छुट्टी / अवकाश
 - ग. देर रात की छुट्टी (09:00 बजे तक) महीने में 2 बार
 - घ. रात्रिवास (स्थानीय अभिभावक के घर) महीने में 2 बार
- सभी प्रकार की छुट्टी का आवेदन पत्र अग्रिम दिनांक में वार्डन को दिया जाना चाहिए। बिना तिथि के पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। वार्डन या प्रधानाचार्य द्वारा आवेदन स्वीकृत होने तक कोई छूट्टी नहीं ली जा सकती है।
- 3. निवासी कृपया ध्यान दें कि उन्हें केवल वे छुट्टियाँ की दी जाएंगी जिनके लिए उनके माता—िपता ने मंजूरी दी है। माता—िपता को यह निर्दिष्ट करना होगा कि उनकी बेटी को देर रात/रात्रिवास की छुट्टी दी जानी चाहिए और ध्यान दें कि कॉलेज कैंपस के बाहर होने पर कॉलेज की निवासी के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 4. छात्राओं को छात्रावास में शाम 7 बजे तक वापस आ जाना चाहिए और हर रोज हाजिरी में भाग लेना चाहिए, सिवाय तब जब उन्हें देर रात या रात्रिवास की छुट्टी दी जाती है। शाम 7 बजे की एट्टेंडेंस के दौरान अनुपस्थिति के लिए जुर्माना देना होगा और छात्रावास से निष्कासन भी हो सकता है।

- 5. स्थानीय आउटिंग और नाइट लीव बुक को स्थानीय अभिभावक और माता–िपता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।
- 6. छात्राओं को शाम 7 बजे की हाजिरी के बाद छात्रावास नहीं छोड़ना चाहिए। इस नियम का उल्लंघन करने पर गंभीर रूप से दंडित किया जाएगा।

छुट्टी की स्वीकृति

- निवासियों को देर तक यानि रात 10 बजे तक या रात्रिवास (स्थानीय अभिभावक के घर पर रहने) की अनुमित शनिवार, रिववार और विश्वविद्यालय की छूट्टियों पर दी जा सकती है।
- 2. ऐसी छुट्टी के लिए आवेदन एक दिन पूर्व शाम 6 बजे से पहले वार्डन को की जानी चाहिए।
- 3. प्रति माह कार्यदिवसों में केवल चार देर रात की छुट्टियां और रात्रिवास (स्थानीय अभिभावक के घर पर रहने) की अनुमित होगी। स्थानीय अभिभावक के घर के अलावा अन्य किसी भी स्थान पर एक रात रहने की अनुमित तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि इस तरह की छुट्टी के लिए अनुरोध माता—िपता से नहीं आते।
- कार्यदिवसों में देर रात की छुट्टी केवल वार्डन द्वारा अपने विवेकानुसार असाधारण परिस्थितियों में दी जाएगी।
- 5. आउटस्टेशन छुट्टी केवल माता—िपता से पुष्टि मिलने और प्रिंसिपल की अनुमित के बाद ही दी जाएगी। यही छुट्टी अविध के लिए छुट्टी पर भी लागू होगा। अगर कोई निवासी छुट्टी पर जाता है, तो उसे छुट्टी की समाप्ति पर छात्रावास लौटना पड़ेगा। छुट्टी को बढ़ाने के मामले में (केवल चिकित्सा आपातकाल के कारण) माता—िपता द्वारा काउंटरसाइन किया जाना चाहिए। किसी भी परिस्थित में वार्डन से पूर्व स्वीकृति के बिना निवासी शहर छोड़ कर नहीं जा सकता है।
- 6. यदि कोई निवासी वार्डन की पूर्व स्वीकृति के बिना शहर छोड़ देता है, तो माता—पिता से बाद में कोई भी पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा और निवासी को छात्रावास से निष्कासित कर दिया जाएगा।
- हर आवेदन की गई और स्वीकृत छुट्टी को उचित छुट्टी आवेदन पुस्तिका में दर्ज किया जाना चाहिए।
- 8. छात्राओं को हर बार छात्रावास परिसर छोड़ने के समय रिजस्टर (दैनिक छुट्टी रिजस्टर) में हस्ताक्षर करने होंगे (कक्षाओं में भाग लेने के अलावा) और आवश्यक विवरण भरना होगा और जब वे वापस आएं तो उसी रिजस्टर में फिर से हस्ताक्षर करें। रिजस्टर पर हस्ताक्षर किए बिना छात्रावास छोड़ने या प्रवेश करने वाला कोई भी निवासी जुर्माने या निष्कासन के लिए उत्तरदायी होगा।
- छात्रावास परिसर छोड़ने से पहले निवासी निम्नलिखित सुनिश्चित करेंगेः
 - क. संबंधित रजिस्टर में उचित प्रविष्टियां की गई हों।
 - ख. छात्रावास वार्डन से उचित अनुमति प्राप्त की गई हो।
 - ग. छुट्टी में जाने से पहले वार्डन / मैट्रॉन द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित रिकॉर्ड आवेदन पत्र प्राप्त किया हो।
- 10. स्थानीय अभिभावक अवकाश / गृह अवकाश लेने के बाद निवासी को छात्रावास में सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही रिपोर्ट करना होगा। इस अवधि के बाहर किसी को भी छात्रावास में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।
- 11. "आपातकाल" की परिभाषा कुछ जरूरी, अप्रत्याशित और अपरिहार्य है। आपात स्थिति के मामले में छात्रावास के वार्डन से तुरंत संपर्क किया जा सकता है।
 - विश्वविद्यालय अध्यादेश XV&C के तहत किसी भी रूप में रैगिंग जो मानसिक और शारीरिक पीड़ा पहुंचाए और प्रतिबंधित रैगिंग को उकसाता है तो ऐसा करने पर आईपीसी के तहत पुलिस कार्रवाई होगी। मिसाल के तौर पर, सीनियर द्वारा बिना जूनियर की सहमति के उसके कमरे में प्रवेश करना अपराध और रैगिंग के समान माना जाएगा (अनुबंध 1 देखें)।

अनुबंध I

अध्यादेश XV&C: रैगिंग के लिए रोक और सजा

- रैगिंग किसी भी रूप में कॉलेज / विभाग या संस्थान के परिसर और सार्वजिनक परिवहन के साथ—साथ दिल्ली विश्वविद्यालय सिस्टम के किसी भी हिस्से में संख्ती से प्रतिबंधित है।
- किसी भी व्यक्ति या सामूहिक कार्य या रैगिंग का प्रयास पूर्ण रूप से अनुशासनहीनता के समान है और इस अध्यादेश के तहत इससे निपटा जाएगा।
- 3. इस अध्यादेश के प्रयोजनों के लिए रैगिंग, आमतौर पर किसी भी कृत्य, अभ्यास को माना जाता है जिसे प्रमुख शक्तियों या विरष्ठ छात्रों द्वारा हाल ही में नामांकित छात्रों या छात्र जो हर हाल में जूनियर या अन्य छात्रों से कम माने जाते हैं, उन पर थोपा जाता है और इसमें व्यक्तिगत या सामूहिक कार्य या प्रथा शामिल है जिसमें:
 - क. शारीरिक हमले या खतरे, शारीरिक बल का उपयोग शामिल है;
 - ख. महिला छाट्रोन की स्थिति, गरिमा और सम्मान का उल्लंघन किया जाता है;
 - ग. अनुसूचित जातियों और जनजातियों के छात्रात्रों की स्थिति, गरिमा और सम्मान का उल्लंघन किया जाता है;
 - घ. छात्रों का उपहास करना और अपमान करना और उनके आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाना;
 - ड़. मीखिक दुर्व्यवहार और आक्रामकता, अश्लील संकेत और अश्लील व्यवहार शामिल हैं।
- 4. कॉलेज के प्रधानाचार्य, संस्थान के विभाग प्रमुख, विश्वविद्यालय, छात्रावास या निवास हॉल के अधिकारी, रैगिंग की घटना की किसी भी जानकारी पर तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं।
- 5. उपरोक्त धारा (4) में किसी की भी अवमानना करने पर, प्रोक्टर भी रैगिंग की घटना में पूछताछ कर सकता है और उन लोगों की पहचान के बारे में उप—कुलपित को रिपोर्ट बना कर दे सकता है, जो रैगिंग या इस प्रकार की घटना में शामिल थे।
- प्रोक्टर रैगिंग के अपराधियों और रैगिंग घटना की प्रकृति की पहचान स्थापित करने वाली एक प्रारंभिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकता है।
- 7. यदि कॉलेज का प्रधानाचार्य या विभाग या संस्थान का अध्यक्ष या प्रोक्टर इस बात से संतुष्ट हैं कि किसी कारण से, लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए, कि ऐसी जांच करना व्यावहारिक नहीं है, तो वह उपाध्यक्ष को तदनुसार सलाह दे सकता है।
- जब उप—कुलपित संतुष्ट हो जाए कि ऐसी जांच करना उचित नहीं है, तो उसका निर्णय अंतिम होगा।
- 9. धारा 3 (ए), (बी) और (सी) में वर्णित रैगिंग घटनाओं का खुलासा खंड (७) के तहत प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा धारा (५) या (६) निर्धारण के तहत रिपोर्ट प्राप्त होने पर किया जाता है; तो उप—कुलपित तय वर्षों के लिए छात्र या छात्रों को निष्कासित करने के निर्देश या आदेश दे सकता है।
- 10. उप—कुलपित रैगिंग के अन्य मामलों में यह आदेश या निर्देश दे सकता है कि कोई भी छात्र या छात्रों को या कॉलेज में जिस पाठ्यक्रम में दाखिला लिया है उसमें दिए गए अविध के लिए, एक या अधिक वर्षों के लिए विभागीय परीक्षा से निष्कासित किया जाए, या उस छात्र या छात्रों ने जिस परीक्षा या परीक्षाओं में भाग लिया है उसके परिणाम रद्द कर दिया जाना चाहिए।
- 11. यदि कोई भी छात्र जिसने दिल्ली विश्वविद्यालय की डिग्री प्राप्त की है, इस अध्यादेश के तहत दोषी पाया जाता है, तो विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई डिग्री वापस लेने के लिए अधिनियम 15 के तहत उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी।

- 12. इस अध्यादेश के उद्देश्य के लिए, रैगिंग को उकसाना, फिर किसी भी कृत्य, अभ्यास या रैगिंग करने के लिए उकसाना, को रैगिंग ही माना जाएगा।
- 13. दिल्ली विश्वविद्यालय सिस्टम के तहत सभी संस्थानों को इस अध्यादेश के तहत जारी निर्देश / आदेशों को पूरा करना होगा और अध्यादेश के प्रभावी कार्यान्वयन को प्राप्त करने के लिए उप—कुलपित को सहायता और सहयोग प्रदान करने के लिए बाध्य होंगे।

नोटः अध्यादेश XV&C के अनुसरण के लिए कुलपति का आदेशः


- उन्हों इस अध्यादेश के तहत किसी भी अधिकारी द्वारा उप—कुलपित को रैगिंग की घटना की सूचना दी जाती है, तो रैगिंग में शामिल छात्र (ओं) को आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा, रैगिंग की रिपोर्ट में शामिल छात्र (ओं) पर आपराधिक कानून भारत के तहत कार्यवाही की जाएगी; उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी भी संस्थान में नामांकन करने से 5 साल की अवधि के लिए निष्कासित किया जाएगा। जिन छात्रों के खिलाफ इस मामले के तहत जरूरी कार्रवाई की जाती है उन्हें प्राकृतिक न्याय के नियमों का सख्ती से पालन करने के साथ निर्णय सुनाया जाएगा।"
- II. धूम्रपान, शराब, नशीले पदार्थों और ड्रग्स का उपयोग सख्ती से प्रतिबंधित है। इस नियम का उल्लंघन गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई का कारण बनेगा और इसके परिणामस्वरूप छात्रावास से निष्कासन हो सकता है।
- III. निवासी छात्रा को छात्रावास फोटो पहचान पत्र प्रदान किया जाएगा। छात्रावास में प्रवेश के दौरान यह कार्ड छात्रावास द्वारपाल को दिखाया जाना है। निवासियों को हमेशा इस कार्ड को अपने साथ रखने और ले जाने की आवश्यकता होगी। छात्रावास पहचान पत्र के खोने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
- IV. निवासी छात्राओं द्वारा कॉलेज / छात्रावास के उपस्थिति नियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
- V. छात्रावास के सभी छात्रों को एक प्रस्थान पुस्तिका जारी की जाएगी जिसे उन्हें घर / स्थानीय अभिभावक के घर जाने के दौरान ले जाना होगा। जब छात्र छात्रावास वापस आते हैं तो माता—पिता / स्थानीय अभिभावक द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। प्रस्थान पुस्तिका के खोने और नई प्रस्थान पुस्तिका जारी करने के लिए जुर्माना लगाया जाएगा।

कृपया ध्यान दें कि वार्षिक रखरखाव, सफेदी, सफाई और मरम्मत के लिए ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान छात्रावास बंद कर दिया जाएगा।

यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि छात्र ने छात्रावास में गलत जानकारी (जाली मार्कशीट / दस्तावेज) प्रस्तुत करके या छात्रावास / कॉलेज प्रवेश नियमों के संबंध में किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाकर प्राप्त किया है, तो उसका प्रवेश तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। यदि कोई निवासी माता—पिता / स्थानीय अभिभावक के हस्ताक्षर करते पाया जाता है, तो उसे छात्रावास से निष्कासित कर दिया जाएगा।

इस प्रॉस्पेक्टस (विवरण पत्रिका) के किसी भी प्रावधान का पालन ना करने के मामले में, प्रिंसिपल छात्रावास के अनुशासन, प्रवेश और समग्र कार्यिसस्टम के मामलों में मुख्य अधिकारी होगा।

Students' Activities

















छात्रावास शुल्क संरचना

छात्रावास शुल्क संरचना (वार्षिक)			
विवरण	सामान्य	एससी ∕ एसटी राशि (₹)	पीडब्ल्यूडी राशि (₹)
जमानती राशि (रिफंडेबल)	10,000.00	10,000.00	Exempted
प्रवेश शुल्क	1,000.00	1,000.00	Exempted
विकास शुल्क	15,000.00	15,000.00	Exempted
कक्ष शुल्क	5,000.00	Exempted	Exempted
विद्युत शुल्क*	6,000.00	6,000.00	Exempted
अन्य सुविधाएं	8,000.00	8,000.00	Exempted
रखरखाव	8,000.00	8,000.00	Exempted
क्रियाएँ	2,000.00	2,000.00	Exempted
कुल	55,000.00	50,000.00	Exempted

मेस शुल्क #: छात्रावास शुल्क के अलावा प्रति वर्ष 25,000 रुपये जीएसटी (वास्तविक रूप से)।

 कूलर का उपयोग करने के लिए अतिरिक्त वार्षिक शुल्क रुपये 3,000। इस सुविधा का लाभ उठाने वाले निवासी द्वारा इसका खर्च उठाया जाएगा।

रूम कनवेकटर उपयोग करने के लिए वार्षिक विद्युत शुल्क रुपए 3,000।

अगर दरों में संशोधन किया जाता है तो कॉलेज अधिकारियों को बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली शुल्क बढ़ाने का अधिकार है।

मेस शुल्क बदले जा सकते हैं।

सभी वर्गों के छात्राओं द्वारा मेस शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

Contents

Important Date	es for Hostel AdmissionInside Front Cover
Foreword from	the Principal3
Admission Nor	ms4
Infrastructure	6
Facilities	7
Rules & Regula	tions
Leave Rules	11
General Discip	line13
Hostel Fee Stru	cture16
Enclosures Che	cklist
Forms / Forma	tsEnclosed
i)	Form I : Leave Sanctioning
ii)	Form II : Personal Details of Parents / Local Guardian
iii)	Form III : Medical Record of the Student
iv)	Form IV : Hostel Identity Card
v)	Formats : Undertaking for Student
	and for Parents & Local Guardian

Students' Activities



Foreword from Principal



Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women, Vasundhara Enclave, Delhi has a hostel for girls which can accommodate 110 students. The sprawling campus of the college has been built on 9.5 acres of land with beautiful gardens and quiet surroundings. The students who join the college from outside Delhi can avail of the hostel facilities. Staying in the hostel gives ample opportunities for students to take part in various activities of the college. The hostel is a home for those who are away from home. The rooms are allotted normally on twin/triple sharing basis. The college hostel promotes the integral development of body, mind and spirit. The hostel life encourages several desirable traits in students like sharing, caring and adjusting to community living and provides more time and scope for moulding the personality and character of the students. It also aids the students to

achieve the highest standards of excellence aimed by the value based integral education. The college hostel takes pains to give students a neat, clean and comfortable place to live in. It is for the students of the hostel to maintain it. There is a warden, a matron and an office staff to attend to the needs of the students from time to time. The hostel has a mess, water coolers, visitor's room, common facility and a medical room. The hostel is Wi-Fi enabled and equipped with fridge, microwave ovens, automatic washing machines, ironing boxes and induction cook tops to make life convenient and enjoyable for the students. Washrooms are equipped with sanitary napkin incinerators. The mess provides balanced and wholesome food to the students. The common Room has a TV with DTH and a music system. The Hostel is aesthetically laid out with plenty of space and greenery. The rooms are comfortable and basic furniture like bed with boxes and book shelves are fitted for the occupants.

We encourage the resident students to participate in cultural and social activities of the college as various activities such as music, dance dramas and nukkadnataks are organized on the campus from time to time. The hostel students are advised to live in harmony like one big family lending a helping hand to each other whenever required, thus mutually cooperating to make the hostel life a rich and fruitful experience. There is no doubt that these are the formative years in the hostel, life-long bonds are created and friendship cemented. This is a time which will stand out in the memory as a golden period. College experience is an important milestone in an individual's life. The college hostel tries to provide an ideal atmosphere for a healthy, all round development of the personality of an individual and a launching pad for a glorious career ahead.

Living in a hostel presupposes a high degree of integrity, consciousness, cooperation, tolerance and hard work for a bright future and in creating a good image of the institution.

I wish a fruitful stay for all the students who will join our hostel.

Dr. PayalMago Principal

Admission Norms

Eligibility

Bonafide students of ShaheedRajguru College of Applied Sciences for Women (SRCASW).

Availability of Seats

There are 110 seats on twin / triple sharing basis.

Hostel Admission Policy 2018-19

- 1. For academic session 2018-19, first year students in the hostel would be admitted on priority, based on merit (similar to criteria for admission to the course) cum distance, along with government instructed reservations for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, OBC and Persons with Disabilities. Beside this, 10% of seats are also reserved for Foreigon Nationals.
- 2. Admission to the hostel is confirmed only after interaction with the candidate and interaction with her parents and the local guardian.
- 3. Students who did their schooling from Delhi/NCR or whose parents reside in the National Capital Territory of Delhi viz. Faridabad, Gurgaon, NOIDA and Ghaziabad will be considered eligible for a Hostel seat only if seats remain vacant after college admission process is complete.
- 4. Admission to the hostel cannot be claimed as a matter of right by any student admitted to the College or even by those who have been residents in the preceding years.
- 5. The fee has to be paid in one installment only, at the time of admission.
- 6. If the seats remain vacant after admission of 1st year students, the 2nd and 3rd year students may be considered. The criteria for them will be same as for 1st year students. The latest result available will be considered to decide the merit.
- 7. The Hostel committee reserves the right for the final admission.

Re-admission / Admission

All students seeking re-admission to the hostel should check college website regularly after 22nd July, 2018.

Admission Procedure

Candidates must submit the duly filled hostel application form to the college office along with the College Admission Form. A self-attested photocopy of the following documents must be submitted along with the hostel application form :

- The college admission fee receipt.
- Marks sheet* of the last examination passed.
- Residence proof issued by a competent local authority (any two). The certificate could be from the
 District Magistrate or an Affidavit / Copy of Passport / Aadhar Card / Ration Card / Driving Licence/
 Electricity Bill / Telephone Bill can be considered as proof of residence.

^{*} Students seeking re-admission should submit mark sheets of both the semesters of preceding year examination passed.

- Medical certificate (form enclosed) duly certified by a registered medical practitioner. (To be submitted at the time of joining hostel failing which admission will stand cancelled)
- Certificate of reserved category, if any. (SC / ST / OBC / PwD)

The parents of the student selected for admission are required to appoint a responsible person as local guardian to the satisfaction of the authorities. The local guardian will represent the parents and take charge of the ward in case of prolonged illness or unforeseen emergencies, university holidays and vacations. At all times, the local guardian must be prepared to take charge of her ward and be available on the given telephone / mobile numbers. The college reserves the right to ask for a change of local guardian. Any change in local guardian requires prior approval of the college.

All certificates are subject to verification by a competent authority. As per University of Delhi rules, the college will accept self-attested copies of documents / papers provided by the applicant. However, if any false attestation / falsified records are detected, the student will be debarred from attending any course in the University or its college(s) for the next five years and in addition, a criminal case under relevant section(s) of IPC (viz. 470, 471, 474, etc.) will be instituted against her.

Following Students will not qualify for Re-admission

- Those who have failed in their University examinations.
- Those who have indulged in unfair means in the University examinations.
- Those who have not fulfilled the college attendance requirement of at least 66.67%.
- Those who have violated the hostel rules or committed acts of misconduct.
- Those who have furnished incorrect information / data.
- Those who have essential repeat (ER) in more than one paper.

If a student does not avail the hostel seat when it is offered, she loses her priority in the admission list. Late applicants and those students who are not present during the hostel admission interview will have no claim on the priority list.

Students on the waiting list are advised to regularly check the college / hostel notice board / college website for relevant information. No individual intimation will be sent in this regard.

Fee Refund Policy

The refund policy for hostel admission cancellation/ withdrawal is as follows. For students applying for the cancellation –

- (i) Before 31st August 2018: 50% of hostel fee and mess charges of remaining months would be refunded with security deposit.
- (Ii) For those applying for cancellation after 31st August, 2018 : Only mess charges of remaining months and security deposit would be refunded.

Infrastructure

Rooms

- The hostel can accommodate 110 students in rooms built to accommodate 2-3 students in each room.
 Each resident is provided with a bed, one built-in wardrobe/ almirah, one study table, a chair and a bookshelf.
- Residents are required to bring their own mattress, pillow cover, quilt, blanket, bed linen, towel, bucket, coffee mug, glass, spoon, thermos flask, torch, hot water bottle, thermometer, lock and key, duster and utensils etc.

Floor-wise Amenities

- Laundry Room: The hostel has one laundry room with a fully automatic washing machine on each floor. The hostel also has one ironing room with one iron, table and dari on each floor.
- Pantry: The hostel has one pantry on each floor with one induction plate, microwave oven and fridge in common room.
- Wash Rooms: Five on each floor. Washrooms are equipped with sanitary napkin incinerators.
- Wi-Fi Connection: Every floor is Wi-Fi enabled.
- Security: CCTVs are installed in and around the hostel.
- Mosquito/Insect Control: Insect Killer Machines are installed on each floor to safeguard the students from mosquitoes and insects.
- Sanitary Napkin vending machine: One machine is installed in common room.

Mess

The mess is run by a caterer on contract basis. The hostel ensures nutritious and wholesome meals. The
hostel committee along with student representatives of mess committee will oversee the quality and
nutritional content of the food served in the mess.

Visitor's Room

Resident may receive her relatives and friends in the visitor's room.

The timings for visitors are:

• 4.30 p.m. to 7.00 p.m. : On all working days

• 10.00 a.m. to 7.00 p.m. : On Sundays and other Gazetted holidays

Visitors must sign and fill up pertinent columns of the visitor's book each time they are visiting.

Common Room

- There is a student's common room equipped with recreational facilities such as television, carrom board, chess etc.
- It is the venue for residents to carry out activities like recitals, debates and discussions.

Medical Facilities

- A lady doctor is available for consultation in the hostel twice a week and is also available on call.
- All cases of illness must be immediately reported to the warden/matron.
- Hostel has a First Aid Room with all basic medicines, BP machine, weighing machine and nebulizer.
- All cases of serious illness shall be referred to the nearest hospital. The local guardian will be duly informed and will have to take charge of the resident within twelve hours of intimation.

Sports Facilities

 Hostel residents interested in sports may avail the sports facilities of the college during the timings as permitted by the warden.

Rules and Regulations

Residents are expected to follow the hostel/college rules both in letter and spirit. All violations of rules will be strictly punished with fines and/or expulsion from the hostel and college. Re-admission into the hostel will be denied to those found guilty of previous violations and disciplinary action will be initiated against offenders.

The college reserves the right to revise, modify or change any of these regulations. Residents are required to abide by all instructions announced/displayed from time to time.

In case, parents of students change their residence, she should immediately inform the hostel office in writing so that her eligibility can be verified afresh. Suppression of information will invite disciplinary action.

Rooms

- 1. Residents of the hostel shall be provided rooms on minimum twin-sharing basis. Rooms once allotted cannot be changed without prior approval of the Warden.
- 2. Residents are expected to keep their rooms and surroundings neat and tidy. They are responsible for the care and maintenance of their rooms and furniture provided to them.
- 3. Residents are not supposed to disfigure the walls. No additional nails are to be fixed on the walls or furniture. Any violation will invite a penalty of 1000/-.
- 4. No furniture can be removed from the room. Residents will have to return the allotted furniture in good condition.
- 5. No additional furniture can be brought into the hostel without prior permission of the Warden. Residents will be charged for all damages/losses caused individually or collectively.
- 6. Lights and fans should be switched off while leaving the rooms.
- 7. Electric kettles/hot plates are not allowed in the rooms. Anyone found using such appliances will be liable for disciplinary action, including a fine & cancellation of her seat in the hostel.

- 8. Residents can bring their own laptops. They will be responsible for their safety.
- 9. The electricity bill, if found more than the regular amount collected, shall be borne equally by all the residents.
- 10. No cooking or ironing is allowed in the rooms.
- 11. Residents are not allowed to remove the kitchen utensils, crockery and cutlery from the dining hall under any circumstances.
- 12. Residents are advised not to bring jewellery items or keep large sums of money in their rooms. The hostel authorities will not be responsible for any loss.
- 13. No loud music is allowed inside the hostel and college campus.
- 14. Residents must maintain proper decorum in the hostel. As a rule, residents should not carry on any activity in the room including long duration calls on mobile phone which would cause disturbance to roommates or other residents.
- 15. Residents are required to behave properly with members of the hostel and college staff and their fellow residents.
- 16. Residents must maintain silence in the corridors.
- 17. Consumption of tobacco related products, alcoholic drinks, drugs, etc. is strictly prohibited in the hostel. Any one indulging in the above activities will be liable for disciplinary action, including expulsion from the hostel.
- 18. Detection of others' property in the room may result in disciplinary action.
- 19. Any vandalism will attract strict punitive action.
- 20. Residents are expected to appreciate the time and money spent in the maintenance of the lawns and garden. Misuse of the lawns such as causing damage to plants and trees and littering will invite disciplinary action.
- 21. No resident can engage any outsider for service of any kind.
- 22. The Warden/Principal can, without prior notification, change/open/check the room allotted to a resident. Non-compliance of order in this regard is to be treated as a serious breach of the discipline inviting penal action. Any attempt leading to any damage to hostel property/building or image of the institution shall be treated as an act of gross indiscipline inviting penal action, including fine as well as cancellation of seat.
- 23. Since it is a privilege to gain admission to the girls' hostel, residents are expected to maintain excellence in academics. Further, they are expected to attend all lectures tutorials, tests, seminars and examinations. Shortage in attendance and poor academic performance will be viewed seriously.
- 24. It should be noted that residents will be allowed to leave hostel within the permissible timing only. So while leaving for vacations tickets should be booked accordingly.
- 25. The residence should not indulge in any activities that causes any kind of disturbance to the roommate or other members of the hostel.

Every resident who is present in the hostel premises should get herself marked present in the attendance register. Daily attendance has to be signed in during evening i.e. from 7.00 p.m. to 7.20 p.m. All residents must be present unless prior leave has been granted. The attendance should be marked sharp as per direction by the Warden.

No resident is allowed to go out of the hostel after 7.00 p.m. without prior permission. Violation of this rule could lead to strict disciplinary action, including suspension from the hostel:

Local Outing Timings: Winter Timings (October-March) : 7.00 a.m. to 6.30 p.m.

Summer Timings (April-September): 6.30 a.m. to 7.00 p.m.

After attendance, residents are permitted to move around inside the college campus till 10.00 p.m.

Common Room

- 1. Common Room is for use by the residents only.
- 2. Residents should not move out the furniture of the common room to any other place in the hostel. A fine will be imposed for violations.
- 3. An atmosphere of dignity, decorum, cordiality and friendliness is to be maintained while using common spaces.

Mess

- 1. Resident creating too much noise in dining hall will be fined.
- 2. Residents are required to be punctual for meals.
- 3. Residents are expected to come properly attired to the dining hall.
- 4. Residents must eat in the dining room. Residents may be allowed to have their meal in their rooms only with the prior permission of the Warden.
- 5. Residents expecting to have meals out should indicate these 24 hours in advance in a register kept for this purpose.
- 6. Utensils will not be allowed to be taken out of the kitchen/dining hall.
- 7. Late breakfast and dinner are not allowed. Late lunch will be kept only for those residents who are delayed due to their classes. This facility is possible only after prior approval of the Warden.
- 8. Residents may entertain a guest for meals in the mess after buying a guest coupon from the office, which will be available during meals in the dining hall.
 - a. Only women guests may be entertained in the women's dining room.
 - b. This can be done only after a 12 hours prior notice and for authorized guests only.
 - c. The warden reserves the final say.
- 9. Residents are not permitted to enter the kitchen.
- 10. College shall not be responsible for any problem arising out of eatery from outside.

11. Meals will be served in the dining hall at the following timings:

	Summer (March-October)	Winter (November-February)
Breakfast	7.30 a.m. – 8.50 a.m.	7:30 a.m. – 8:50 a.m.
Lunch	12.40 p.m. – 3.00 p.m.	12:40 p.m. – 3:00 p.m.
Tea	5.15p.m. – 6.15p.m.	5:15 p.m. – 6:15 p.m.
Dinner	7.30p.m. – 9:30 p.m.	7:00 p.m. – 9:00 p.m.

- 12. Meal timings will be strictly adhered to. Catering staff will not be expected to provide meals after the fixed timings.
- 13. Wastage of food is strictly forbidden and will be punished with a minimum fine of ₹ 100 per meal.

Guests / Visitors

- 1. The hostel has two guest rooms which provide accommodation to the female relatives of the residents at nominal charges of ₹ 500 (without meals) / ₹ 600 (with meals) per day.
- 2. The hostel administration reserves the right to deny entry into the hostel visitors' room to any visitor who fails to prove his/her identity or provide valid reasons for visiting the hostel.
- 3. No visitors (even parents) will be allowed to use any type of camera or filming equipments in the hostel.
- 4. Visitors should sign the register (maintained for this purpose) while arriving and departing from the hostel.
- The resident is not permitted to meet visitors inside the hostel premises during college hours. Any student violating this rule will be liable to disciplinary action.
- 6. Students are not permitted to meet their visitors at the college gate.
- 7. Registered residents may receive visitors between 4.30 p.m. and 7.00 p.m. on all days and additionally between 10.00 a.m. and 7.00 p.m. on Sunday's and other holidays in visitor's room only.
- 8. All visitors are required to follow the rules of the hostel. The Warden reserves the right to refuse admission to any visitor at any time without prior notice.

Medical

Students suffering from chronic illness requiring special dietary and other care are advised not to apply for the hostel.

- 1. All cases of illnesses including health issues like depression and other major medical emergencies must be immediately reported to the Warden.
- 2. Residents must have the required immunization.
- 3. Residents must have their complete medical files with them during their stay in the hostel.
- 4. Medical Fitness Certificate should be produced at the beginning of each semester.

- 5. In case of medical emergency, resident shall be taken to the nearest hospital and the local guardian shall be duly informed. The local guardian will have to take charge thereafter and the entire responsibility for treatment and related expenses will be borne by the parents/local guardian. The hostel/college authorities shall not be held responsible for any mishap or negligence.
- 6. To seek absence from classes due to some medical problem, a medical certificate from a recognized hospital, has to be submitted on the day of re-joining the hostel.
- 7. It is required to attend Yoga / Meditation/ Sports Activities for physical fitness as and when organised by the college especially for the hostellers. 20% leaves are allowed in the above activities with the prior sanction on urgent grounds like medical condition.

Vacations

- 1. Residents will not be permitted to leave for home before the announced dates of vacations. No travel reservations should be made before the commencement of the vacations.
- 2. Residents must be present on the first and last day of every term. Travel arrangement should be made accordingly. Failure to comply will lead to disciplinary action.
- 3. The hostel authorities will not take any responsibility for any belongings left behind.
- 4. The hostel seat will be allotted to another student if a resident fails to return to the Hostel at the end of the vacation and no information is furnished to the office within one week.
- 5. The hostel room must be vacated by the resident after one day of her appearing in the second semester's last examination (Theory/Practical).

Leave Rules

1. The leaves that a resident can avail are the following:

a. Local Guardian Leave – Weekend (Saturday/Sunday) & Gazetted holidays

b. Home Leave – Vacations

c. Late Night Leave (up to 09:00 p.m.) – 2 times a month

d. Night-out Leave (to LG/s) – 2 times a month

- All types of leave have to be made in advance in dated application letters to the Warden. Undated
 letters will not be entertained. No leave can be taken until the application has been sanctioned by
 Warden or Principal.
- 3. Residents may please note that they will be granted only those leaves for which their parents have given approval. Parents must specify whether late night/night out leave is to be granted to their daughter and note that the college shall not be responsible for the resident when she is outside the College Campus.
- 4. Students should be back in the hostel by 7.00 p.m. and attend the roll call everyday except when they are granted late leave or overnight leave. Unaccounted for absence during 7.00 p.m. attendance will be punished with fines and expulsion from hostel.
- 5. Local Outing and Night Leave Book should be duly signed by the Local Guardian and Parents .

6. Students should not leave the hostel after 7.00 p.m. roll call. Violation of this rule will be severely punished.

Grant of Leave

- 1. Residents may be permitted to stay out late i.e. 9:00 p.m. or overnight (at LG's place) on Saturdays, Sundays and University holidays.
- 2. Applications for such leave must be made before 6:00 p.m. on the previous day to the Warden.
- 3. Only four late night leaves and two overnight stay (at LG's place) on week days per month will be permitted. Permission to stay overnight in any place other than the LG's place will not be granted unless the request for such leave comes from parents.
- 4. Late leave on week days will be granted only under exceptional circumstances by the warden at her discretion.
- Outstation leave will be given only on confirmation from the parents and with the permission of the Principal. The same applies to leave for the vacation periods. If a resident goes on leave, she has to return to the hostel on the expiry of the leave. Any extension of leave (only due to medical emergency) has to be countersigned by the parents. Under no circumstances can the resident leave station without prior sanction from the warden.
- 6. If a resident leaves station without prior sanction of the Warden, no subsequent letter from parent will be accepted and the resident will be expelled from the hostel.
- 7. Every leave applied for and sanctioned has to be entered in the appropriate leave application book.
- 8. Students are required to sign in a register (daily leave register) every time they leave the hostel premises (except for attending classes) and to fill in the required details and sign again in the same register when they come back. Any resident found leaving or entering the hostel without having signed the register is liable to be fined or expelled.
- 9. Before leaving the hostel complex residents will ensure the following:
 - a. Proper entries have been made in the concerned register.
 - b. Proper permission has been obtained from the Hostel Warden.
 - c. Leave Record Application form duly signed by the Warden / Matron has to be obtained while proceeding for leave.
- 10. After availing LG Leave / Home Leave the residence must report to the hostel between 6.00 a.m. to 7.00 p.m. only. No one is allowed to enter the Hostel at times outside this span.
- 11. Definition of "emergency" is something urgent, unforeseen and unavoidable. The warden of the hostel may be contacted immediately in case of emergency.
 - I. Ragging in any form causing mental and physical agony and abetment of ragging is strictly prohibited under University Ordinance XV-C and will invite police action under IPC. For instance, entering into junior's room without his / her consent by the senior would tantamount to trespassing and ragging (refer to Annexure 1).

Annexure I

Ordinance XV-C: Prohibition of and Punishment for Ragging

- 1. Ragging in any form is strictly prohibited, within the premises of College/Department or Institution and any part of Delhi University system as well as public transport.
- 2. Any individual or collective act or practice of ragging constitutes gross indiscipline and shall be dealt with under this Ordinance.
- 3. Ragging for the purposes of this Ordinance, ordinarily means any act, conduct of practice by which dominant power or status of senior students is brought to bear on students freshly enrolled or student who are in anyway considered junior or inferior by other students and includes individual or collective act or practices which:
 - a. Involve physical assault or threat, use of physical force;
 - b. Violate the status, dignity and honour of women students;
 - c. Violate the status, dignity and honour of students belonging to the scheduled castes and tribes;
 - d. Expose students to ridicule and contempt and affect their self esteem;
 - e. Entail verbal abuse and aggression, indecent gestures and obscene behaviour.
- 4. The principal of College, the Head of the Department of an Institution, the authorities of College, of University hostel or Halls of Residence shall take immediate action on any information of the occurrence of ragging.
- 5. Notwithstanding anything in Clause (4) above, the Proctor may also suomoto enquire into incident of ragging and make a report to the Vice-Chancellor of the identity of those who have engaged in ragging and the nature of the incident.
- 6. The Proctor may also submit an initial report establishing the identity of the perpetrators of ragging and the nature of the ragging incident.
- 7. If the principal of a College or Head of the Department or Institution or the Proctor is satisfied that for some reason, to be recorded in writing, it is not reasonably practical to hold such an enquiry, he/she may so advise the Vice-Chancellor accordingly.
- 8. When the Vice-Chancellor is satisfied that it is not expedient to hold such an enquiry, his/her decision shall be final.
- 9. On the receipt of a report under Clause (5) or (6) determination by the relevant authority under clause (7) disclosing the occurrence of ragging incidents described in clause 3(a), (b) and (c); the Vice-Chancellor shall direct or order rustication of a student or students for a specific number of years.
- 10. The Vice-Chancellor may in other cases of ragging order or direct that any student or students be expelled or not be for a stated period, admitted to a course of study in a college, departmental

examination for one or more years, or that the result of the student or students concerned in the examination or examinations in which they appeared be cancelled.

- 11. In case any student who has obtained degrees of Delhi University are found guilty under this ordinance appropriate action under statute 15 for withdrawal of degrees conferred by the University shall be initiated.
- 12. For the purpose of this Ordinance, abetment to ragging whether by way of any act, practice or incitement of raging will also amount to ragging.
- 13. All institutions within the Delhi University system shall be obligated to carry out instructions/ directions issued under this Ordinance, and to give aid and assistance to the Vice-Chancellor to achieve the effective implementation of the Ordinance.

Note: "Order of the Vice-Chancellor in pursuance of Ordinance XV-C:

Where incident(s) of ragging are reported to the Vice-Chancellor by any authority under this ordinance, the students(s) involved in ragging shall be expelled for a specified term designated in the order, no-students involved in reports of ragging will be proceeded with under the Criminal Law India; they will also be rendered intelligible for a period of 5 years from seeking enrolment in any of the institutions of the University of Delhi. Students against whom necessary action is taken under this note will be given post decisional hearing, with strict adherence to the rules of natural justice."

- II. Smoking, drinking, use of narcotics and drugs is strictly prohibited. Violation of this rule will lead to severe disciplinary action and can result in expulsion from the Hostel.
- III. Resident student will be issued hostel photo identity card. This card has to be shown to the hostel gatekeeper during entry to the hostel. Residents are required to retain and carry this card with them at all times. A fine will be imposed for the loss of the hostel identity card.
- IV. Attendance rules of the college / hostel are to be followed strictly by the resident students.
- V. All hostel students would be issued a departure booklet which they need to carry while going to home / LG home. The same has to be countersigned by parents / LG when the student comes back to the hostel. A fine will be imposed for the loss of Departure booklet and issue of the new departure booklet.

Please note that the hostel will be closed during Summer Vacations for the annual upkeep, whitewash, cleaning and repairs.

If it is found at any point of time that a student has secured admission to the Hostel by furnishing wrong information (forged mark-sheet/documents) or by concealment of any vital information regarding Hostel/College admission rules, her admission will be cancelled forthwith. If any resident is found to be forging parents'/local guardian's signatures, she shall be expelled from the Hostel.

Notwithstanding any provisions in this Prospectus, the Principal is the final authority in the matters of discipline, admission and overall functioning of the Hostel.

Students' Activities



Hostel Fee Structure

Hostel Fee Structure (Annual)			
Particulars	General	SC/ST Amount (₹)	PwD Amount (₹)
Caution Money (Refundable)	10,000.00	10,000.00	Exempted
Admission Fee	1,000.00	1,000.00	Exempted
Development Fee	15,000.00	15,000.00	Exempted
Room Charges	5,000.00	Exempted	Exempted
Electricity Charges*	6,000.00	6,000.00	Exempted
Other Amenities	8,000.00	8,000.00	Exempted
Maintenance	8,000.00	8,000.00	Exempted
Activities	2,000.00	2,000.00	Exempted
Total	55,000.00	50,000.00	Exempted

Mess Charges# : ₹ 25,000.00+GST (as per actuals) per year besides Hostel Fee.

* Additional Annual Charges for using Cooler ₹ 3,000.00. Maintenance will be borne by the resident who is availing this facility.

Annual Electricity Charges for using Room Convector ₹ 3,000.00.

The college authorities reserve the right to increase electricity charges without prior notice if the rates are revised.

Mess charges are liable to change.

Mess charges to be paid by all category of students.



शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ एप्लाईड सांईसेस फॉर वुमैन

संलग्नक चेकलिस्ट (प्रवेश के दौरान जमा किया जाना है)

- 1. फोटो
- 1. Photographs
 - क) छात्र
 - a) Student
 - ख) माता-पिता
 - b) Parents
 - ग) स्थानीय अमिमावक
 - c) Local Guardian
- 2. नए प्रवेश के लिए, कक्षा 12 वीं की मार्कशीट / उत्तीर्ण अंतिम परीक्षा की मार्क शीट की की स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि
- For fresh admission, self-attested copy of Class XII Marks Sheet / Last Examination passed Marks Sheet
- पुनः प्रवेश के लिए, पिछले वर्ष की उत्तीर्ण की गई परीक्षा की मार्कशीस (दोनों सेमेस्टर की)
- For re-admission, self-attested copies of preceding year Examination passed Marks Sheets (both semesters)
- आरक्षित श्रेणी के प्रमाण पत्र की खबयं प्रमाणित प्रति यदि कोई हो (एससी / एसटी / ओबीसी /पीडब्ल्यूडी)
- 4. Self-attested copy of Certificate of reserved category, if any (SC / ST / OBC / PwD)
- 5. शुल्क रसीद की खयं प्रमाणित प्रति
- 5. Self-attested copy of Fee Receipt
- निवास के सबूत की स्वयं प्रमाणित प्रति
- 6. Self-attested copy of Proof of Residence
- प्रॉस्पेक्टस के साथ संलग्न फॉर्म से IV पूर्ण कप से मरा हो
- 7. Form I to IV duly completed enclosed with the prospectus
- सादे कागज पर छात्र और माता-पिता और स्थानीय अभिमावक का डलफनामा (निर्धारित फार्मेंट के अनुसार)
- Student and Parents & Local Guardian undertakings on plain paper (as per format prescribed)





शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ एप्लाईड सांईसेस फॉर वुमैन (दिल्ली विश्वविद्यालय)

वसुंघरा एन्क्लेव (चिल्ला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से जुड़ा), दिल्ली — 110096 फोनः 011—22623503, 22623505, टेलीफैक्सः 011—22623504 ईमेल आईडी: srcsawhostel@gmail.com, वेबसाइट: www.rajgurucollege.com

Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (University of Delhi)

Vasundhara Endave (Adjoining Chilla Sports Complex), Delhi - 110 096 Phone(s): 011-22623503, 22623505 • Telefax: 011-22623504 E-mail: srcsawhostel@gmail.com, Website: www.rajgurucollege.com